न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

अब्दुल अजीज पिता घासी खां मसुरी मोमिन मोहल्ला मंगला चौक भीलवाडा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :– 57 / 2025 जीसीएमएस नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.07.2025	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 01.05.2025 में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाड़ा ने जरिये पत्र क्रमांक 1078 दिनांक 30.06.2025 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना प्रश्नात्मक श्रेणी की है, जिससे सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। **(जसमीत सिहं संधू)** **प्रथम अपीलीय अधिकारी** **लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा**	

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.) भीलवाड़ा